सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 23/2015

1. जगरूपसिंह पुत्र श्री रामसिंह जाति जटसिख निवासी 36 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. ईकबाल सिंह पुत्र श्री सन्तोख सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)
3. हरमिन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आर.बी. तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज0)

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1.श्री ओमप्रकाश बतरा , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–01.06.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रिकॉर्ड से साबित है कि चक 38 आर.बी. तहसील पदमपुर का मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1 में 0.144 व 2 में 0.139 हैक्टयर कुल 0.235 हैक्टयर रकबा गैर मुमकिन हडडा रोहडी के नाम दर्ज है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस हडडा रोहडी को कैन्सिल नहीं किया गया। अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो वह अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नहीं किया। अदालत मातहत द्वारा यह कहना कि चक 38 आर.बी. तहसील पदमपुर मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 25 में हडडा रोहडी है जो सरासर गलत है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में मुरब्बा नम्बर 50 में कोई हडडा रोहडी नहीं है इसलिए उसका तबादला होना बात गलत दर्ज की गई है जबकि किसी न्यायालय द्वारा मुरब्बा नम्बर 4 में किला नम्बर 1–2 में हडडा रोहडी कैन्सिल नहीं है ना ही मुरब्बा नम्बर 50 में किला नम्बर 25 में हडडा रोहडी मंजूर है। मगर अदालत मातहत ने बिना किसी आधार पर ऐसा कर रेस्पोडेण्टान को अतिक्रमी ना मानकर भारी भूल की है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना कि ग्राम वाले हलफनामा प्रस्तुत किया है जबकि हडडा रोहडी मंजूर है वह तबादला करने का अधिकार जिला कलक्टर को है। वहां पर कोई आदेश पारित नहीं थें लेकिन यह आधार मानकर अदालत मातहत ने भारी भूल की है। अदालत मातहत ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया। अदालत मातहत ने आदेश जल्दबाजी में तथा रेस्पोडेण्टान को लाभ पहुचाने की गर्ज से आदेश पारित किया गया है जैसा कि आदेश से स्पष्ट प्रतीत होता है। निर्णय की तारीख 16.04.2015 में अंकित है तथा अपने हस्ताक्षर की तारीख 15.04.2015 दर्ज है इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। अदालत मातहत के समक्ष यह देखना चाहिए था कि सरकारी भूमि रेस्पोडेण्टान

अति जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अतिक्रमी है तो उसे तुरन्त ही बेदखल करना चाहिए था। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करके कानूनी भूल की है। इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.04.2015 को निरस्त फरमाया जावें तथा तुरन्त ही रेस्पोडेन्टान को बेदखल करने का आदेश फरमाया जावें।

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि चक 38 आर.बी. तहसील पदमपुर का मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1 में 0.144 व 2 में 0.139 हैक्टयर कुल 0.235 हैक्टयर रकबा गैर मुमकिन हडडा रोहडी के नाम दर्ज है तथा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा इस हडडा रोहडी को कैन्सिल नहीं किया गया अगर कोई व्यक्ति कब्जा करता है तो वह अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। यह तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मौजूद थे मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर गोर नहीं किया। अदालत मातहत द्वारा यह कहना कि चक 38 आर.बी. तहसील पदमपुर मुरब्बा नम्बर 50 किला नम्बर 25 में हडडा रोहडी है जो सरासर गलत है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में मुरब्बा नम्बर 50 में कोई हडडा रोहडी नहीं है इसलिए उसका तबादला होना बात गलत दर्ज की गई है जबकि किसी न्यायालय द्वारा मुरब्बा नम्बर 4 में किला नम्बर 1–2 में हडडा रोहडी कैन्सिल नहीं है ना ही मुरब्बा नम्बर 50 में किला नम्बर 25 में हडडा रोहडी मंजूर है। मगर अदालत मातहत ने बिना किसी आधार पर ऐसा कर रेस्पोडेण्टान को अतिक्रमी ना मानकर भारी भूल की है। अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित करना कि ग्राम वाले हलफनामा प्रस्तुत किया है जबकि हडडा रोहडी मंजूर है वह तबादला करने का अधिकार जिला कलक्टर को है। वहां पर कोई आदेश I पारित नहीं थें लेकिन यह आधार मानकर अदालत मातहत ने भारी भूल की है। अदालत मातहत ने आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया। अदालत मातहत ने आदेश जल्दबाजी में तथा रेस्पोडेण्टान को लाभ पहुचाने की गर्ज से आदेश पारित किया गया है जैसा कि आदेश से स्पष्ट प्रतीत होता है। निर्णय की तारीख 16.04.2015 में अंकित है तथा अपने हस्ताक्षर की तारीख 15.04.2015 दर्ज है इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। अदालत मातहत के समक्ष यह देखना चाहिए था कि सरकारी भूमि रेस्पोडेण्टान अतिक्रमी है तो उसे तुरन्त ही बेदखल करना चाहिए था। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा ना करके कानूनी भूल की है। इसलिए भी अदालत मातहत का आदेश निरस्त करने योग्य है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 16.04.2015 को निरस्त फरमाया जावें तथा तुरन्त ही रेस्पोडेन्टान को बेदखल करने का आदेश फरमाया जावें। इस सम्बन्ध में ग्रामवासियों का शपथ पत्र भी अवलोकनीय है जिसमें हडडारोडी की भूमिका उपयोग होना उल्लेखित किया गया है।

अधिवक्ता रेस्पोडन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि तहसीलदार पदमपुर ने अपने आदेश I दिनांक 16.04.2015 में अंकित किया है कि हडडारोडी हेतु आवंटन भूमि का अधिभोग अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिपूर्ण अधिकार के किया जा रहा है। हडडारोडी भूमि के तबादला किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। अतः उक्त प्रकरण विकास अधिकारी पंचायत समिति पदमपुर के क्षेत्राधिकार में है जिसमें सरपंच से नियमानुसार निर्णय किया जाकर इस कार्यालय को सूचित करें। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में आगे कथन किया कि कार्यवाही विकास अधिकारी पंचायत समिति पदमपुर में विचाराधीन थी जिसमें श्रीमान न्यायालय का स्थगन होने से कार्यवाही स्थगित हो गई। चक 38 आर.बी. तहसील पदमपुर का मुरब्बा नम्बर 4

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)

किला नम्बर 1 में 0.144 व 2 में 0.139 हैक्टयर कुल 0.235 हैक्टयर रकबा गैर मुमकिन हड्डा रोहड़ी की ऐवज में हम प्रार्थीगण द्वारा मुरब्बा नम्बर 50 के किला नम्बर 25 में हडडारोडी हेतु जगह दी हुई है जो गांव से चिपती पडती है जो गांव वासियों की सहुलियत के लिए मुझ प्रार्थी की खातेदारी भूमि में से गांव वासियों की रजामंदी पर दी हुई क्योंकि मंजूर शुदा हडडारोडी गांव से 4 किलोमीटर दूर है। अतः निगरानी खारिज फरमाई जावें।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। चक 38 आर.बी. तहसील पदमपुर का मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1 में 0.144 हैक्टर व 2 में 0.139 हैक्टयर कुल 0.235 हैक्टयर रकबा गैर मुमकिन हडडारोडी के नाम दर्ज है। हडडारोडी हेतु आवंटित भूमि का अधियोग अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिपूर्ण अधिकार के किया जा रहा है। हडडारोडी भूमि के तबादला किये जाने का नियमों में कोई प्रावधान नही है। रेस्पोडेन्टस द्वारा इस हडडारोडी वाली सरकारी भूमिउ पर अवैध गेहूँ काश्त कर अतिक्रमण किया है जो रिकॉर्ड से प्रमाणित है। अतः रेस्पोडेन्टस को तुरन्त ही बेदखल करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। रेस्पोडेन्टस के अनुसार उनकी स्वंय की मु0न0 50 के किला नम्बर 25 के 16 बिस्वा भूमि मौके पर हडडारोडी के काम में ली जा रही है जो मुताबिक जमाबन्दी मु.न. 50 किला नम्बर 21 ता 25 हरमन्द्र सिंह पुत्र प्रीतम सिंह जाति जटसिख निवासी 38 आर.बी. के नाम दर्ज है, जो वह प्राप्त करने का अधिकारी है। रेस्पोडेन्टस को उनकी खातेदारी भूमि का उपयोग करने का पूर्ण अधिकार है परन्तु हडडारोडी हेतु आवंटित भूमि का अधिभोग अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिपूर्ण अधिकार के किया जा रहा है। विद्यमान अभिलेख में रेस्पोडेन्टस की भूमि में कोई हडडारोडी नहीं है रेस्पोडेन्टस द्वारा राजस्व अभिलेख में दर्ज सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है जो रिकॉर्ड से प्रमाणित है। अधीनस्थ अदालत को धारा 22 के तहत निहित शाक्तियों का उपयोग कर बेदखली का समुचित आदेश पारित करना चाहिए था परन्तु उसने इसमें चूक की है जिसे दुरूस्त किया जाना कानूनन सही है। अतिक्रमी रेस्पोडेन्टस को तुरन्त ही बेदखल करना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार पदमपुर का निगरानीधीन आदेश दिनांक 16.04.2015 निरस्त किया जाकर उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वह रेस्पोडेन्टस को बेदखल करके उपर्युक्त मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1 में 0.144 व 2 में 0.139 हैक्टयर कुल 0.235 हैक्टयर रकबा गैर मुमकिन हडडारोडी भूमि तुरन्त खाली करवाकर तुरन्त पालना प्रेषित करें। आदेश की प्रति तहसीलदार पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

01/06/2018

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।